न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम) सहारनपुर।

****

[उपस्थित–(Sanjay Kumar–V)..........(H.J.S), J.O. Code–UP 1773]

UPSP010031202017

सत्र परीक्षण संख्या– 59 सन 2017

उ०प्र०राज्य

....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र स्व० अशोक कुमार निवासी जडौदा पाँडा (अंधाई पट्टी) थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

......अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या– 12/2015
अन्तर्गत धारा– 18(सी)/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम
धारा– 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता
थाना– बडगाँव, जिला सहारनपुर।

एवं

UPSP010053462015

सत्र परीक्षण संख्या–01/2015

उ०प्र०राज्य द्वारा औषधि निरीक्षक

....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र स्व० अशोक कुमार निवासी जडौदा पाँडा थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

......अभियुक्त।

परिवाद संख्या– 01/2015

धारा– 18/27 औषधि और
प्रसाधन सामग्री अधिनियम
थाना बडगाँव, जिला– सहारनपुर।

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 सरकार बनाम अजय कुमार एवं सत्र परीक्षण संख्या–01/2015 औषधि निरीक्षक बनाम अजय कुमार एक ही घटनाक्रम से सम्बन्धित होने के कारण एवं उक्त दोनों पत्रावलियों में समान साक्ष्य होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उक्त सत्र परीक्षण वाद व परिवाद का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

2. औषधि निरीक्षक अनामिका अंकुर जैन द्वारा न्यायालय में एक परिवाद अजय कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा– 18c/27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्त अजय कुमार को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2015 के अनुसार प्रसंज्ञान लेते हुए तलब किया गया एवं मुकदमा वादी औषधि निरीक्षक अनामिका अंकुर जैन द्वारा घटना के समय ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस थाना– बडगाँव, जिला–सहारनपुर, मुकदमा अपराध संख्या– 12/2015, अन्तर्गत धारा– 18/27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं धारा– 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज करायी गई तथा पुलिस थाना– बडगाँव द्वारा विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिये जाने के बाद उक्त दोनों वादों का एक साथ विचारण चला। अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 12/2015, अन्तर्गत धारा– 18(सी)/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 के रूप में दर्ज हुआ।

3. सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 सरकार बनाम अजय कुमार एवं सत्र परिवाद संख्या–01/2015 औषधि निरीक्षक बनाम अजय कुमार एक ही घटनाक्रम से सम्बन्धित होने के कारण एवं उक्त दोनों पत्रावलियों में समान साक्ष्य होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उक्त सत्र परीक्षण वाद व परिवाद का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

4. वादी मुकदमा औषधि निरीक्षक श्रीमती अनामिका अंकुर जैन द्वारा थाना बडगाँव पर दी गयी फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–1** के आधार पर अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि कार्यालय एफ०एस०डी०ए० सहारनपुर में प्राप्त शिकायत, जोकि सुधीर त्यागी एवं अन्य ग्रामवासी निवासीगण ग्राम जडौदा पाँडा परगना देवबन्द, थाना बडगाँव जिला सहारनपुर द्वारा की गयी शिकायत पर सहायक आयुक्त (औषधि) सहारनपुर मण्डल, सहारनपरु द्वारा गठित टीम पत्र संख्या– एफ०एस०डी०ए०/छापामार/2014–15/28 दिनांकित 07.01.2015 जिसमें मैं श्रीमती अनामिका अंकुर जैन, औषधि निरीक्षक सहारनपुर, राजेश कुमार औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर व ड्रग पिओन कर्मवीर जिला सहारनपुर, महबूब ड्रग प्योन मुजफ्फरनगर के साथ थाना बडगाँव लगभग समय़ 03.15 बजे अपरान्ह पहुँचे। जहाँ थाना प्रभारी से सम्पर्क किया तथा पुलिस बल की डिमान्ड की तथा रवानगी से पूर्व टीम के सदस्यों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ली तथा कोई भी

आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। पुलिस बल, जिसमें उपनिरीक्षक श्री रघुवीर सिंह, थाना बडगाँव एवं सिपाही श्री भूदेव सिंह (सी०पी० नं० 373) के साथ अंगाही पट्टी मैन बाजार जदौडा पाँडा में स्थित अजय की दुकान, जिसमें बहुत सारी औषधियाँ भण्डारित पर पहुँचे। पहुँचने पर अजय दवा की दुकान पर उपस्थित था तथा दवा बेच रहा था। दुकान पर भारी मात्रा में ऐलोपैथिक औषधियाँ, जिसमें मुख्यतः Schedule C, C1 & H के अंतर्गत आने वाली औषधियाँ, फिजीशियन सैम्पल, Expired दवाईयाँ, फोर्टविन इंजेक्शन,अल्प्राजोलम टेबलेट्स इत्यादि विक्रय हेतु भंडारित व प्रदर्शित पाई गई।मांगे जाने पर फर्म स्वामी अजय से संबंधित कोई भी एलोपैथिक औषधि का वैध लाइसेंस, भंडारित औषधियों का क्रय–विक्रय बीजक दिखाने में असमर्थ रहा। नशे की औषधियों की सघन जांच करने पर पाया कि उक्त औषधियों को अवैध रूप से बेचा जा रहा था तथा अजय यह भी बताने में असमर्थ रहा कि वे औषधियां वह कहाँ से लेकर आया? इसके पश्चात छह संदिग्ध औषधियों के नियमनुसार नमूने लिए गए तथा जांच हेतु लखनऊ भेजे जा रहे हैं। कुल औषधियों को तीन बोरो (प्लास्टिक) में क्रम संख्या 1 से 87 तक भरकर मौके पर सील किया गया तथा नमूना सील मोहर बनाया गया। तथा कार्य संपन्न होने के उपरांत दुकानदार अजय ने दुकान को बंद कर ताला लगाया तथा चाबी अपने पास रख ली। अभियुक्त अजय पुत्र श्री अशोक द्वारा जनता को गुमराह कर बेवकूफ बनाकर दवाइयां बेची। जोकि भारतीय दंड संहिता की धारा– 419 एवं 420 का उल्लंघन है एवं बिना लाइसेंस की दवाई की दुकान चलाकर ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 18 सी/27 का भी उल्लंघन किया है। अतः अनुरोध है कि माल मुलजिम के साथ हम लोग थाने आए हैं कि अभियुक्त अजय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करे। उपरोक्त कार्रवाई संपन्न करने के पश्चात ग्राम जडौदा पाँडा से समय लगभग शाम 06.00 बजे रवाना हुए। फर्द बरामदगी मेरे द्वारा बोल–बोलकर हमराही श्री राजेश कुमार पद औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर से मौके पर ही लिखवायी गयी तथा फर्द को पढ़कर सुनाकर छायादल के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। नोट– फर्द की एक नकल अभियुक्त अजय को दी गयी तथा हस्ताक्षर बनवाये गये।

5. वादी मुकदमा औषधि निरीक्षक श्रीमती अनामिका अंकुर जैन की उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर अभियुक्त अजय कुमार के विरुद्ध थाना बडगाँव, सहारनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या– 12 सन् 2015, अन्तर्गत धारा– 419,420 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा– 18 सी/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम पंजीकृत कर चिक किता की गयी तथा विवेचना उपनिरीक्षक राजीव कुमार को सुपुर्द की गयी।

6. विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। विवेचना के दौरान संकलित किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–419,420 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा– 18 सी/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर प्रसंज्ञान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया।

7. अभियुक्त अजय कुमार न्यायालय के समक्ष जमानत प्रावधानों के तहत नियमानुसार उपस्थित आया। अभियुक्त को धारा– 207 दं.प्र.सं. के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी तथा दिनांक 16.01.2017 को प्रकरण को सत्र सुपुर्द किया गया। जो सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 के रूप में दर्ज हुआ।

8. विद्वान न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 में दिनांक 27.01.2017 को अभियुक्त अजय कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–18 सी/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा धारा– 419 व 120 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार करते हुए विचारण की याचना की।

9. परिवादिनी औषधि निरीक्षक अनामिका अंकुर जैन द्वारा दिनांक 15.04.2015 को परिवाद–पत्र प्रदर्श क–4 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादिनी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश संख्या drug / 1310–19, दिनांक 19.03.2012 के माध्यम से दिनांक 29.03.2012 से औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 21 के अंतर्गत औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है (एक फोटोकॉपी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है), जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 146/atthhasi–13–97 au./11, दिनांक 11.06.2013 के माध्यम से अधिसूचित की गई है (एक फोटोकॉपी अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है)। परिवादिनी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश संख्या FSDA/Drug/3834 दिनांक 26.06.2014 के माध्यम से 07.07.2014 से जिला सहारनपुर में तैनात किया गया है (एक फोटोकॉपी अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न है)। परिवादिनी लोक सेवक है। श्री सुधीर त्यागी और अन्य लोगों से ग्राम जरोदा पांडा, थाना बड़गांव से प्राप्त शिकायत के आधार पर (फोटोकॉपी अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है) और सहायक आयुक्त (ड्रग्स), सहारनपुर डिवीजन, सहारनपुर से पत्र संख्या FSDA/Chhapamar/2014–15/28, दिनांक 07.01.2015 (कॉपी अनुलग्नक V के रूप में संलग्न है) के माध्यम से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में, परिवादिनी, श्री राजेश कुमार, ड्रग्स इंस्पेक्टर, मुजफ्फरनगर, श्री कर्मवीर सिंह, ड्रग चपरासी, सहारनपुर, श्री महबूब, ड्रग चपरासी, मुजफ्फरनगर, श्री रघुवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर, थाना बड़गांव और श्री भूदेव सिंह (कांस्टेबल संख्या: 373) की एक छापेमारी टीम ने दिनांक 08.01.2015 को अंगाही पट्टी, मेन बाजार, ग्राम जरोदा पांडा में स्थित एक बिना लाइसेंस वाली मेडिकल दुकान के परिसर पर छापा मारा। रेड के समय, अजय कुमार (पिता श्री अशोक, निवासी गाँव जरोडा पांडा, थाना बड़गांव, सहारनपुर) मेडिकल स्टोर पर मौजूद था और एलोपैथिक दवाएं बेचते हुए पाया गया। मांगने पर, अजय कुमार कोई भी वैध दवा बिक्री लाइसेंस नहीं दिखा सका। अजय कुमार परिसर में बिक्री के लिए रखी, स्टॉक की गई और प्रदर्शित दवाओं की बिक्री/खरीद का कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिखा सका। परिसर/दुकान में बिक्री के लिए एलोपैथिक दवाओं का भारी स्टॉक पाया गया, जिसमें साइकोट्रोपिक दवाएं (पेंटाज़ोसिन इंजेक्शन और अल्प्राजोलम), डॉक्टरों के सैंपल और एक्सपायर हो

चुकी दवाएं शामिल थीं। परिवादिनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार फॉर्म 17A पर दवाओं के 06 सैंपल खरीदे/इकट्ठा किए–

1. SAMPLE NO.: AAJ/SRE/JAN/15/001: CETRIZINE DIHYDROCHLORIDE TABLETS (ETZ), B.No.: B134450, M/D 11/2013, E/D 10/2015, Mfd By – M/s Elmac Remedies (P) Ltd., 202–3, Kichha Road, Lalpur, Rudrapur, U.K.
2. SAMPLE NO.: AAJ/SRE/JAN/15/002: BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE TABLETS I.P., B.No.: BS–12, M/D 08/2014, E/D 07/2016, Mfd By Shivalik Healthcare India Pvt. Ltd., Delhi Niti Pass, Bamanheri.
3. SAMPLE NO.: AAJ/SRE/JAN/15/003: NIMESULIDE TABLETS (MINUSLIDE), B.No.: MT12–05, M/D 01/2013, E/D 12/2015, Mfd By M/s Modi Hike Pvt. Ltd., Pharma City, Plot No.: 24, Selaqui, Dehradun, U.K.
4. SAMPLE NO.: AAJ/SRE/JAN/15/004: PARACETAMOL TABLETS I.P., B.No.: MAT–1383, M/D 03/2014, E/D 02/2016, Mfd By – Medaid Healthcare (P) Ltd., Plot No 88, Sectore – 7, IIE, Sidcul, Haridwar, U.K.
5. SAMPLE NO.: AAJ/SRE/JAN/15/005: PARACETAMOL TABLETS I.P. 650mg (GOPAIN T), B. No.: AT–4124, M/D 07/2013, E/D 06/2015, Mfd By – Alliance Biotech, Vill. Katha, Baddi — 173205.
6. SAMPLE NO.: AAJ/SRE/JAN/15/006: RANITIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS I.P., B.No.: STO–1366, M/D 02/2014, E/D 01/2016, Mfd By Laboratories Ltd., 6.5Km Stone, Meerut Road, Jaroda, Muzaffarnagar 251003, U.P.

10. प्रपत्र 17 ए की प्रति अभियुक्त को सौंप दी गई थी और प्रपत्र 17 ए तथा प्रपत्र 18 की कार्बन प्रति क्रमशः अनुलग्नक VI और VII के रूप में संलग्न हैं। परिवादिनी ने अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रपत्र–16 पर दुकान में बिक्री के लिए रखे और प्रदर्शित किए गए शेष 87 प्रकार के नशीले पदार्थों को जब्त कर लिया। प्रपत्र 16 की एक प्रति अभियुक्त को सौंप दी गई थी, जिसने प्रपत्र 16 की मूल प्रति और कार्बन प्रति पर इसकी प्राप्ति स्वीकार की। प्रपत्र 16 की कार्बन प्रति और मौके पर तैयार किए गए मुहर के नमूने की कार्बन प्रति क्रमशः अनुलग्नक VIII और IX के रूप में संलग्न हैं। फर्द बरामदगी रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई थी। (प्रति संलग्नक X) जब्त की गई दवाओं की अभिरक्षा प्रपत्र–16, प्रपत्र–17A की प्रति, मुहरबंद नमूना दस्तावेज, फर्द बरामदगी रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार बड़गांव थाना प्रभारी को दी गई थी और इसकी पावती फर्द बरामदगी रिपोर्ट की प्रति पर प्राप्त की गई थी। अभियुक्त के विरुद्ध सहारनपुर के बड़गांव थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 6/015 दिनांक 08.01.2015 (अपराध संख्या 12/15) दर्ज की गई

थी। (एफ.आर. की फोटोकॉपी संलग्नक – XI) परिवादिनी ने दिनांक 12.01.2015 को माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 11 को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया और धारा के तहत जब्त की गई दवाओं के लिए उचित अभिरक्षा आदेश का अनुरोध किया। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 23(5)(ख) के तहत। (कार्यालय प्रति अनुलग्नक – XII के रूप में संलग्न है)। परिवादिनी ने एकत्रित दवाओं के नमूने दिनांक 15.01.2015 को प्रपत्र 18 के साथ पंजीकृत पार्सल द्वारा सरकारी विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे। (पार्सल की मूल रसीद अनुलग्नक – XIII के रूप में संलग्न है) सरकारी विश्लेषक ने रिपोर्ट संख्या: डी/316–15, दिनांक 31.01.2015 को प्रपत्र 13 पर (मूल प्रति अनुलग्नक XIV के रूप में संलग्न है) निमेसुलाइड टैबलेट (मिनुस्लाइड), बी. संख्या: एमटी12–05, निर्माता: मेसर्स मोदी हाइक प्राइवेट लिमिटेड के नमूने को अस्वीकृत घोषित किया। लिमिटेड, फार्मा सिटी, प्लॉट नंबर: 24, सेलाक्वी, देहरादून द्वारा बेचे गए उत्पाद मानक गुणवत्ता के हैं और अन्य 5 नमूनों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। परिवादिनी ने दिनांक 19.01.2015 के पत्र के माध्यम से ग्राम जारोदा पांडा के मुख्य बाजार स्थित अंगाही पट्टी स्थित मेडिकल स्टोर में बिक्री के लिए रखी दवाओं के वैध बिक्री लाइसेंस और खरीद–बिक्री रिकॉर्ड के बारे में ग्राम जारोदा पांडा निवासी आरोपी अजय कुमार से पूछताछ की थी। (दिनांक 19.01.2015 के पत्र की प्रति अनुलग्नक – XV के रूप में संलग्न है), जिसका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादिनी ने ग्राम जारोदा पांडा, थाना बड़गांव, सहारनपुर निवासी श्री अशोक के पुत्र अजय कुमार को दिए गए किसी भी लाइसेंस के विवरण के बारे में सहारनपुर के औषधि क्लर्क श्री से पूछताछ की थी। लोकेश कुमार को दिनांक 28.02.2015 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था और परिवादिनी को सहारनपुर के औषधि क्लर्क द्वारा बताया गया था कि अजय कुमार, पुत्र श्री अशोक, निवासी ग्राम जरोदा पांडा, थाना बड़गांव, सहारनपुर के पास कोई वैध औषधि विक्रय लाइसेंस नहीं है। (दिनांक 28.02.2015 के पत्र की मूल प्रति अनुलग्नक – XVI के रूप में संलग्न है)। परिवादिनी ने दिनांक 13.01.2015 के पत्र द्वारा औषधि नियंत्रक/ औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, 9 जगत नारायण रोड, लखनऊ को इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया। (पत्र की फोटोकॉपी अनुलग्नक – XVII के रूप में संलग्न है)। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ ने पत्र संख्या drug/7785 दिनांक 22.11.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश के औषधि नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा सूचित किया। पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि वैध ड्रग लाइसेंस के बिना ड्रग्स का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ सीधे शिकायत दर्ज की जाए और ऐसे मामलों में किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। (पत्र की फोटोकॉपी अनुलग्नक – XVIII के रूप में संलग्न है)। नमूने के रूप में एकत्रित ड्रग और फॉर्म 16 पर जब्त की गई ड्रग अधिनियम की धारा 3(ख) के अर्थ में ड्रग हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, अजय कुमार (i) सेक्शन 18(c) के तहत वैलिड ड्रग सेलिंग लाइसेंस के बिना एलोपैथिक ड्रग्स का स्टॉक

करना, दिखाना और बेचना, जो सेक्शन 27 (U P Act 47 of 1975, सेक्शन 5) के तहत सज़ा के लायक है।(ii) सेक्शन 18–A और 18–B के तहत ड्रग्स के सेल और परचेज़ रिकॉर्ड न दिखा पाना, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 28 और 28–A के तहत सज़ा के लायक है। (U P Act 47 – of 1975, सेक्शन 5)। परिवादिनी एक पब्लिक सर्वेंट है और उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए परिवाद प्रस्तुत किया है, इसलिए उसे इस माननीय कोर्ट में रोज़ाना पेश होने से छूट दी जाए। इस प्रकार अभियुक्त को तलब कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

11. उक्त परिवाद–पत्र को विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 4, सहारनपुर द्वारा दिनांक 15.04.2015 को सत्र परिवाद संख्या–01/2015 के रूप में दर्ज कर परिवादिनी के बयान हेतु अग्रिम तिथि नियत की गयी। विद्वान विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 4, सहारनपुर द्वारा दिनाँक 07.07.2015 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त अजय को अन्तर्गत धारा– 18/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में विचारण हेतु जरिये समन तलब किया। अभियुक्त को तलब कर धारा– 208 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया गया।

12. सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 एवं सत्र परिवाद संख्या– 01/2015 दोनों एक ही घटनाक्रम से सम्बन्धित होने के कारण दोनों पत्रावलियों का विचारण एक साथ किया गया। सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 की पत्रावली को अभियोजन साक्ष्य में नियत किया गया।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षी को परीक्षित कराया गया हैः–

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	औषधि निरीक्षक अनामिका अंकुर जैन	वादी मुकदमा/परिवादिनी
2	औषधि निरीक्षक राजेश कुमार	फर्द बरामदगी लेखक
3	उपनिरीक्षक राजेश कुमार	विवेचक
4	उपनिरीक्षक बालेन्द्र सिंह	FIR लेखक

14. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज साबित कराये गये हैं–

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साक्षी संख्या
प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–2	फार्म–16 का.सं.10/1 ता 10/4	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–3	फार्म–17 ए	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–4	परिवाद पत्र का.सं.3 क/1 ता 3 क/3	पी०डब्लू० 1

	(परिवाद संख्या– 01/2015)	
प्रदर्श क–5	गवाहों की सूची का.सं.4 क (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–6	दस्तावेजी साक्ष्य का.सं.5 क (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–7	एनेक्चर 4 (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–8	एनेक्चर 5 (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–9 से प्रदर्श क–14	फार्म–18 का.सं.12 ख/1 ता 12 ख/6 (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–15	सील नमूना मोहर का.सं.14 (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–16	एनेक्चर 12 (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–17	नोटिस एनेक्चर 15 (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–18	लाईसेन्स के संबंध में सूचना एनेक्चर 19 (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–19	एनेक्चर सं० 17 का.सं. 21 ख (परिवाद संख्या– 01/2015)	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–20	चिक का.सं. 4/1 व 4/2	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–21	जी०डी० सं० 30 का.सं. 7/1	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–22	नक्शा–नजरी	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–23	आरोपत्र का.सं.3	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–24	गिरफ्तारी एवं सूचना प्रपत्र	पी०डब्लू० 4
वस्तु प्रदर्श 1 ता वस्तु प्रदर्श 103	बरामद माल मुकदमा तीन प्लास्टिक की बोरों में रखी दवाईयाँ	पी०डब्लू० 1

15. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त सत्र परीक्षण संख्या– 59/2017 तथा सत्र परिवाद संख्या– 01/2015 में अभियुक्त अजय कुमार के बयान अन्तर्गत धारा– 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत एवं झूठा तथा उसकी दुकान से उक्त दवाईयां बरामद नहीं होना बताया।

16. अभियुक्त द्वारा सफाई देने का कथन करते हुए मुख्य कथन किया गया है कि मैं निर्दोष हूँ तथा तहरीरी बयान दाखिल करूँगा।

17. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्ष्य में **डी०डब्ल्यू० 1** रिंकू जैन पुत्र सुखमाल जैन को परीक्षित कराया गया।

18. **अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा साक्ष्य निम्नवत है तथा साक्षीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए कथनों का विश्लेषण यथोचित स्थान पर किया जाएगा–**

19. साक्षी **पी०डब्ल्यू० 1** ड्रग इंस्पेक्टर अनामिका अंकुर जैन ने अपने मुख्यपरीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि मैं जनपद सहारनपुर में दिनांक 07–07–2014 से औषधि निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूं। दिनांक 08–01–2015 को जड़ौदा पाण्डा के निवासीगण व श्री सुधीर त्यागी निवासी ग्राम जड़ौदा पाण्डा देवबन्द थाना बड़गांव द्वारा की गयी एक शिकायत पर, जो कि बिना लाईसेन्स के मैडिकल स्टोर पर अजय कुमार द्वारा नशीली दवाईयाँ बेचने के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थय मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को दी गयी थी। उसी शिकायत के आधार पर सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर के आदेश दिनांक 07–01–2015 के अनुपालन में छापा मार कार्यवाही करने के लिए दल गठित करते हुए आदेश दिये गये, जिसके अनुपालन में मैं औषधि निरीक्षक सहारनपुर व राजेश कुमार औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर व ड्रग्स चपरासी कर्मवीर सिंह सहारनपुर व महबूब चपरासी मुजफ्फरनगर के साथ थाना बड़गांव लगभग दोपहर सवा तीन बजे पहुंचे जहां थाना प्रभारी से सम्पर्क कर छापा कार्यवाही के लिए पुलिस फोर्स की मांग की गयी और थाना बड़गांव पर मौजूद एस.आई. श्री रघुवीर सिंह व सिपाही कांस्टेबिल भूदेव सिंह 373 को छापा दल में सम्मिलित कर रवानगी से पूर्व सभी ने एक दूसरे की जामा तलाशी ली और तसल्ली की कि छापे से सम्बन्धित कोई भी वस्तु किसी के पास नहीं है और थाने से रवाना होकर अंगाही पट्टी मैन बाजार जड़ौदा पाण्डा में स्थित अजय की दुकान पर पहुंचे तथा अजय मैडिकल स्टोर पर पाया कि उक्त दुकान में भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाईयाँ विक्रय हेतु भन्डारित व प्रदर्शित थी। दुकान पर मौजूद व्यक्ति जिसने पूछने पर अपना नाम अजय बताया, मौजूद था व एलोपैथिक दवाईयों का विक्रय कर रहा था। दुकान पर जांच करने पर पाया कि प्रदर्शित एलोपैथिक दवाईयों में शैडयूल सी., सी.वन व एच, फिजीशियन सैम्पल एक्सपायर दवाईयाँ फोर्टविन एन्जेक्शन, एल्प्राजोलम टेबलेट इत्यादि दवाईयां शामिल हैं। अजय से भन्डारित व प्रचारित दवाईयों के सम्बन्ध में पूछताछ पर सम्बन्धित अभिलेख जैसे वैध औषधि विक्रय लाईसेन्स व मौजूद दवाईयों के कय विकय बिल मांगे गये जिन्हें वह दिखाने में असमर्थ रहा। अजय यह भी बताने में असमर्थ रहा कि नशे के लिए प्रयोग की जाने वाली उक्त दवाईयां जिन्हें वह अवैध रूप से बेच रहा था, कहां से लाया है।

दुकान में भन्डार दवाईयों में से कुछ छः संदिग्ध औषधियों के नमूने नियमानुसार निर्धारित प्रथम फार्म 13 ए. पर अंकित करते हुए जांच हेतु लिये गये। इनके अन्य पाई गयी दवाईयों को नियमानुसार फार्म–16 पर कम संख्या–1 से 87 तक कमबद्ध सूची करते हुए तीन प्लास्टिक के बोरों में भर कर सील सर्वे मोहर किया गया तथा मौके पर ही सील नमूना मोहर तैयार की गयी। उक्त समस्त कार्यवाही के पश्चात सभी प्रपत्रों पर अजय के एवं छापा दल के हस्ताक्षर कराये गये और उसके बाद अजय ने अपनी दुकान को बन्द कर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली, जिससे पहले मौके पर मेरे द्वारा फर्द बरामदगी बोल– बोल कर हमराहीगण श्री राजेश कुमार औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर से मौके पर लिखवाई गयी तथा फर्द अभियुक्त व समस्त छापा दल को पढ़कर सुनाकर सभी के हस्ताक्षर कराये गये जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अजय को हिरासत पुलिस में लिया गया। अजय के द्वारा यह कृत्य जनता को गुमराह कर बेवकूफ बनाकर अवैध दवाई बेची जा रही थी, जो कि संगीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिसके कम में छापा कार्यवाही पूर्ण करने के बाद जड़ौदा पाण्डा से मय अभियुक्त व बरामदा माल के तीन बोरे व छापा दल थाना बड़गांव के लिए शाम के लगभग छः बजे रवाना हुए। मेरे द्वारा मौके पर ही गवाहान छापामार दल के सदस्य महबूब, कर्मवीर, कांस्टेबिल भूदेव व औषधि निरीक्षक श्री राजेश कुमार के हस्ताक्षर भी कराये गये थे तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर उसके भी हस्ताक्षर बनवाये गये थे। असल फर्द बरामदगी को मेरे द्वारा बोल–बोलकर औषधि निरीक्षक द्वारा तैयार कराई गयी थी। पत्रावली पर मूल रूप में मौजूद है। उक्त फर्द बरामदगी पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया है। मेरे द्वारा मौके पर बरामद दवाईयों के सम्बन्ध में जो फार्म–16 तैयार किया गया था जो पत्रावली पर मूल रूप से कागज संख्या–10/1 ता 10/4 मौजूद है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। गवाहान के भी हस्ताक्षर मौजूद है तथा अभियुक्त के भी हस्ताक्षर है, शिनाख्त करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। मौके पर तैयार सैम्पल के सम्बन्ध में प्रपत्र फार्म 17 ए. की कार्बन प्रति, जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, जो असल के साथ एक ही प्रोसेस में तैयार की गयी, की मूल प्रति अभियुक्त को दी गयी थी। अभियुक्त के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। उक्त बरामदगी व मुकदमें के सम्बन्ध में एक कम्पलेन्ड अपने द्वारा तैयार कर सम्पूर्ण जांच के उपरान्त दिनांक 15–04–2015 में न्यायालय में प्रेषित की थी, जो पत्रावली पर मूल रूप में कागज संख्या–3क/1 ता 3क/3 मौजूद है, मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। परिवादपत्र के साथ मैंने गवाहों की सूची कागज संख्या–4क तथा दस्तावेजी साक्ष्य कागज संख्या–5क भी तैयार कर अपने हस्ताक्षर में दाखिल की थी, जो पत्रावली पर मौजूद है, मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, शिनाख्त करती हूं। 4क पर प्रदर्श क–5 तथा 5क पर **प्रदर्श क 6** डाला गया। परिवादपत्र के साथ मेरे द्वारा मेरी नियुक्ति का सहारनपुर में स्थानान्तरण (नियुक्ति प्रपत्र) एनेक्चर नम्बर–तीन तथा उपरोक्त पद पर मेरा नियुक्ति आदेश एनेक्चर–एक तथा शासन द्वारा मेरी नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन एनेक्चर नम्बर–दो भी मेरे द्वारा परिवादपत्र के साथ

प्रस्तुत किये गये थे जो पत्रावली पर 8ख, 6 ख व 7 ख हैं। उत्तर प्रदेश शासन/स्वास्थय मंत्री को अभियुक्त के विरूद्ध भेजे गये शिकायती प्रार्थनापत्र की फोटो प्रति जो मेरे हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित है उसे भी मैंने परिवाद के साथ एनेक्चर–चार के साथ संलग्न किया है, अपने हस्ताक्षर की सत्यता स्वीकार करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। परिवादपत्र के साथ मेरे द्वारा संलग्न एनेक्चर नम्बर–5 जो मुझे सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर के द्वारा आदेशित किया गया था, उक्त प्रपत्र की प्रति जो सहायक आयुक्त के द्वारा हस्ताक्षरित है यह मूल प्रति है, कागज संख्या–10 ख है। सहायक औषधि के हस्ताक्षर मौजूद है। मेरे अधिकारी हैं, मण्डल में तैनात है, हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। परिवादपत्र के साथ मेरे द्वारा एनेक्चर–6 के रूप में फार्म 17 ए. की कार्बन प्रति अपने हस्ताक्षर से संलग्न की थी। इस पर पूर्व में प्रदर्श क–3 डाला जा चुका है। मेरे द्वारा मौके पर तैयार फार्म–18 परिवादपत्र का एनेक्चर नम्बर–8 की कार्बन प्रति को मूल के साथ मैंने मौके पर तैयार की थी। मूल प्रति विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजी गयी थी। फार्म–18 के सभी पृष्ठों पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं। पत्रावली पर एनेक्चर–8 (फार्म 18) मूल रूप से 12ख/1 ता 12ख/6 है, शिनाख्त करती हूं। इस पर क्रमशः **प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12, प्रदर्श क–13, प्रदर्श क–14** डाला गया। परिवादपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर नम्बर 10 यानि फार्म 16 जिस पर मेरे द्वारा पूर्व में सत्यापित कर प्रदर्श क–2 डाला जा चुका है, भी पत्रावली पर मौजूद है। मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। एनेक्चर नम्बर–9 सील नमूना मोहर मौके पर बरामदा माल को सील करते समय तैयार किया गया था, पत्रावली पर कागज संख्या–14 है। मोहर सील व लाख सील मौजूद है, शिनाख्त करती हूं, **प्रदर्श क–15** डाला गया। परिवादपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर नं. 10 फर्द बरामदगी की द्वितीय कार्बन प्रति जो मूल के साथ एक ही प्रोसेस में तैयार की गयी थी। इस पर मेरे व अन्य गवाहान के हस्ताक्षर मौजूद है। मूल प्रति जो पत्रावली पर मौजूद है मेरे द्वारा प्रदर्श क–1 के रूप में साबित की जा चुकी है। मेरे द्वारा थाना बड़गांव पर उक्त घटना के सम्बन्ध में दर्ज कराई गयी एफ.आई.आर. की चिक कार्बन प्रति एनेक्चर नम्बर 11 पत्रावली पर 16ख/1 व 16ख/2 मौजूद है। परिवादपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर नम्बर 12 जिसमें मेरे द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–11 को उक्त कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया था, पत्रावली पर मौजूद है, मेरे हस्ताक्षर मौजूद है शिनाख्त करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। परिवादपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर नम्बर–13 जो सैम्पल को लैब में भेजने की डाक रसीद है, पत्रावली पर कागज संख्या–17ख है। एनेक्चर नम्बर 14 स्टेट लैब लखनऊ की नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट, जो गोवरनमेन्ट एनालिस्ट ए.एल. श्रीवास्तव द्वारा जारी की गयी थी वह मूल रूप से कागज संख्या–18ख पत्रावली पर मौजूद है। एनेक्चर नम्बर 15 जिसमें अभियुक्त अजय कुमार को मेरे द्वारा उपरोक्त औषधियों के क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में व उससे संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया था जिसकी एक प्रति जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है. पत्रावली पर मौजद है. शिनाख्त करती है, **प्रदर्श क 17** डाला गया। औषधि लिपिक लोकेश शर्मा को उपरोक्त अजय के मैडिकल स्टोर या

फर्म के सम्बन्ध में किसी वैध लाईसेन्स के संबंध में सूचना मांगी गयी थी। उक्त प्रपत्र भी मेरे द्वारा एनेक्चर नम्बर 16 के रूप में अपने हस्ताक्षर से परिवादपत्र के साथ संलग्न किया था. शिनाख्त करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–18** डाला गया। उक्त प्रपत्र पर औषधि लिपिक की आख्या अजय के नाम कोई लाईसेन्स न होने के सम्बन्ध में प्रदर्शित है। परिवादपत्र के साथ एनेक्चर नम्बर 17 जिसमें मेरे द्वारा उक्त विभाग के मुख्यालय लखनऊ में उक्त मामले में की गयी कार्यवाही की सूचना की गयी थी, पत्रावली पर कागज संख्या 21 ख मौजूद है, मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। जिस पर **प्रदर्श क–19** डाला गया। एनेक्चर नम्बर 18 में शासन द्वारा निर्देशित परिवाद दाखिल किये जाने के बारे में आदेश आयुक्त द्वारा जारी है, कागज संख्या–22 ख है, परिवादपत्र के साथ संलग्न किया गया था। बरामद माल के सम्बन्ध में सैम्पल के नम्बर–6 की परीक्षण, रिपोर्ट जो मुझे विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से मिली थी, पत्रावली पर कागज संख्या 24 क है, जो मेरे द्वारा न्यायालय में मौजूद है। उक्त साक्षी ने आपसे दिनांक 08–01–2015 को बरामद एवं न्यायालय में सील्ड अवस्था में प्रस्तुत माल मुकदमा तीन प्लास्टिक बोरों में रखी दवाईयों को क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–103** के रूप में साबित किया गया है।

20. अभियोजन साक्षी **पी० डब्ल्यू०–2** औषधि निरीक्षक राजेश कुमार ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08–01–2015 को मैं डी०आई० के पद पर जिला मुजफ्फरनगर कार्यरत था। उस दिन सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के द्वारा पत्र सं० SSDK/O छापामार / 2014–2015/28 दिनांकित 07–01–2015 में एक टीम गठित की गयी थी, जिसमें मेरे अलावा सहारनपुर औषधि निरीक्षक श्रीमति अनामिका अंकुर जैन व अनु सेवक कर्मवीर व अनुसेवक मुजफ्फरनगर महबूब भी शामिल थे। हम सभी लोग उस दिन समय लगभग सांय 3:00 बजे दोपहर थाना बड़गांव पहुंचे थे। हमारी उपरोक्त टीम सुधीर त्यागी व अन्य ग्रामवासी के प्रार्थनापत्र पर एक टीम गठित की गयी थी। थाना बड़गांव प्रभारी से सम्पर्क स्थापित कर पुलिस बल की मांग की गयी थी। रवानगी से पूर्व टीम के सदस्यों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ली। उस समय कोई आपत्तिजनक वस्तु टीम के किसी सदस्य के पास नहीं थी। पुलिस बल जिसमें उपनिरीक्षक श्री रघुवीर सिंह एवं सिपाही भूदेव के साथ मेन बाजार जड़ौदा पांडा में स्थित अजय की दुकान जिसमें बहुत सारी औषधियां भण्डार की गयी थी, पर पहुंचे थे। पहुंचने पर अजय दुकान पर उपस्थित थे एवं दवा बेच रहे थे। दुकान पर भारी मात्रा में एलोपैथिक औषधियां जिसमें मुख्यतः शेडयूल सी., सी.वन एवं एच के अन्तर्गत आने वाली औषधियां, फिजीशियन सैम्पल एक्सपायर दवाईयाँ फोर्टविन एन्जेक्शन, एल्प्रासेफ टेबलेट इत्यादि विक्रय हेतु भण्डारित पाई गयी थी। अभियुक्त अजय से मौके पर एलोपैथिक औषधियों का वैध लाईसैन्स तथा कय विक्रय बीजक मांगे गाये थे लेकिन अजय दिखाने में असमर्थ रहे। नशे की औषधियों की सघन जांच करने पर पाया कि उपरोक्त दवाईयां अवैध रूप से बेची जा रही थी। अजय द्वारा उपरोक्त बरामदा औषधियां वह कहां से लेकर आया था यह भी नहीं बताया था। इसके पश्चात हमारे द्वारा बरामदा दवाईयों में से छः संदिग्ध औषधियों के नियमानुसार नमूने लिये गये, जो औषधि निरीक्षक अनामिका

अंकुर जैन द्वारा लिये गये थे। उक्त नमूनों को परीक्षण हेतु लखनऊ भेजा गया था। बरामदा सभी औषधियों को (नमूनों को छोड़कर) तीन प्लास्टिक के बोरों में कम संख्या–1 से कम संख्या–87 में भरकर मौके पर सील सर्वे मुहर किया गया तथा सील मुहर मौके पर बनाया गया था। कार्य सम्पन्न होने के बाद उक्त अजय ने दुकान को बन्द करके ताला लगाया और चाबी अपने पास रखी थी। अजय कुमार द्वारा जनता को गुमराह करके फर्जी ढंग से बेवकूफ बनाकर जनता में बेची जा रही थी और बिना वैध लाईसैन्स के दवाईयों को बेचने का अवैध कारोबार किया जा रहा था। फर्द बरामदगी मौके पर औषधि निरीक्षक अनामिका अंकुर जैन द्वारा बोलकर मेरे से लिखवाई थी। उक्त फर्द बरामदगी पत्रावली पर मूल रूप से प्रदर्श क–1 है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। अन्य गवाहान के भी हस्ताक्षर हैं। उक्त फर्द की एक प्रति मौके पर ही अभियुक्त अजय को फार्म 17 ए व फार्म 16 के प्रपत्रों के साथ प्राप्त कराई गयी थी तथा मूल फर्द पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये गये थे। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर सम्पन्न करके सांय 6:00 पी.एम. पर जड़ौदा पांडा से मय माल व अभियुक्त व नमूनों सहित थाना के लिये रवाना हुए थे, जहां पर अभियुक्त को थाने पर दाखिल कर फर्द बरामदगी के आधार पर औषधि निरीक्षक अनामिका द्वारा उसके विरूद्ध घटना से सम्बन्धित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उपरोक्त बरामदगी औषधियों के दौरान मौके पर तैयार किये गये फार्म–16 जो चार प्रतियों में हैं, सब पर अन्य गवाहान के साथ मैंने भी हस्ताक्षर किये थे, शिनाख्त करता हूं। उस पर पूर्व में प्रदर्श क–2 डाला जा चुका है।

21. **पी० डब्ल्यू०–3** उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 08–01–2015 को थाना बड़गांव के जड़ौदा पाण्डा पुलिस चौकी पर कार्यरत था। उस दिन थाना बड़गांव पर मु०अ०सं० 12/15 अन्तर्गत धारा 419, 420 आई.पी.सी. व धारा 18 सी./27 डी.सी.एक्ट वादिया अनामिका अंकुर जैन ड्रग्स इंसपेक्टर सहारनपुर की फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अजय पुत्र अशोक के विरूद्ध कायम हुआ था। जिसकी चिक रिपोर्ट उस समय थाने पर तैनात कान्स्टेबल क्लर्क बालेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गयी थी। उक्त चिक रिपोर्ट पत्रावली पर मूल रूप से कागज संख्या 4/1 व 4/2 है। बालेन्दर सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है तथा उस समय थाने पर तैनात प्रभारी अधिकारी रघुवीर सिंह के हस्ताक्षर व मोहर मौजूद है। बालेन्द्र सिंह व रघुवीर सिंह मेरे साथ तैनात रहे है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं, शिनाख्त करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–20** डाला गया। उक्त मुकदमें का खुलासा उपरोक्त कांस्टेबल क्लर्क बालेन्दर सिंह द्वारा थाने की जी०डी० में उसी रोज दिनांक 08–01–2015 को थाने की जी०डी० में रपट नं0 30 समय 18:45 पर किया गया था। उक्त जी०डी० की कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 7/1 के रूप में मौजूद है। उक्त प्रति मूल के साथ एक ही प्रोसेस में तैयार की थी। उक्त जी०डी० की सत्यता को तस्दीक करता हूं स्वयं प्रमाणित करता हूं। उक्त जी०डी० भी बालेन्दर सिंह के लेख में है। इसकी शिनाख्त करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–21** डाला गया। उक्त मुकदमें की विवेचना मेरे सुपुर्द की गयी थी। मेरे द्वारा दिनांक 08–01–2015 को सी०डी० का पर्चा नं.–1 किता किया गया था जिसमें थाना कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त घटना की नकल चिक व नकल रपट व अन्य सम्बन्धित कागजात मुझे

प्राप्त हुए थे। सी०डी० के पर्चे में मेरे द्वारा नकल फर्द बरामदगी की गयी तथा एफ.आई.आर. लेखक बालेन्दर सिंह का बयान केस डायरी में अंकित किया गया है तथा फर्द बरामदगी के साथ थाने से प्राप्त फार्म 16 चार वर्क एवं फार्म 17 ए का अवलोकन किया गया और उपरोक्त कागजात केस डायरी के साथ संलग्न किया गया। थाने के हवालात में मौजूद अभियुक्त अजय कुमार का बयान उसे गेट के पास बुलाकर उससे पूछताछ कर अंकित किया गया। दिनांक 09–01–2015 को मेरे द्वारा सी०डी० का पर्चा नं० 2 किता किया गया। जिसमें उपरोक्त अभियुक्त की तबीयत खराब होने के कारण थाने से दी गयी जमानत की जी०डी० नकल की गयी। दिनांक 10–02–2015 को मेरे द्वारा सी०डी० का पर्चा नं0 3 किता किया गया। जिसमें मुकदमें की वादिया अनामिका अंकुर जैन का बयान अंकित किया गया तथा उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके का नक्शा नजरी बनाया जो पत्रावली पर मूल रूप से कागज संख्या–5 मेरे सामने है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–22** डाला गया। मौके पर मौजूद प्रमोद व ओंकार के बयान समायी साक्ष्य के रूप में अंकित किये गये। बरामदगी के चश्मदीद साक्षी एस.आई. रघुवीर सिंह व कान्स्टेबल भूदेव के बयान अंकित किये। दिनांक 11–02–2015 को सी०डी० का पर्चा नं0 4 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें परीक्षण रिपोर्ट उपरोक्त दवाईयों से सम्बन्धित उपलब्ध कराने हेतु सहायक औषधि आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को प्रेषित करने का तस्करा किया गया है। दिनांक 14–02–2015 को सी०डी० का पर्चा नं0 5 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा इस मुकदमें के गवाह श्री राजेश कुमार औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर व क्लर्क महबूब अली के बयान मुजफ्फरनगर जा कर अंकित किये गये तथा औषधि अनुसेवक गवाह कर्मवीर सिंह के बयान अंकित किये गये। दिनांक 22–02–2015 को अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध की गयी विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र संख्या–ए.27 दिनांकित 22–02–2015 को न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर मूल रूप से कागज संख्या–3 है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–23** डाला गया।

22. साक्षी **पी० डब्ल्यू०–4** एस० आई० बालेन्द्र सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 08–01–2015 को मैं थाना बडगाँव पर कांस्टेबल कलर्क के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०स०– 12/2015 बनाम अजय पुत्र अशोक अन्तर्गत धारा 419,420, IPC एवं धारा– 18(C)/27 D&C Act की चिक रिपोर्ट वादी मुकदमा श्रीमती अनामिका अंकुर जैन जिला औषधि निरीक्षक सहारनपुर की फर्द बरामदगी के आधार पर मेरे द्वारा तैयार की गयी थी जो पत्रावली पर मूल रूप से कागज सं० 4/1 व 4/2 है, मेरे लेख हस्ताक्षर में हैं, शिनाख्त करता हूँ इस पर पूर्व में प्रदर्श क–20 डाला जा चुका है। इस मुकदमे का खुलासा थाने की जी०डी० में रपट नं 30 समय 18:45 पर उसी रोज मेरे द्वारा किया गया था। उक्त जी०डी० की कार्बन प्रमाणित प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 7/1 के रूप में मौजूद है जो मूल के साथ एक ही प्रोसेस में एक साथ तैयार की गयी थी। मेरे लेख हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता हूँ। इस पर पूर्व में प्रदर्श क–21 डाला जा चुका है। अभियुक्त अजय कुमार उपरोक्त का गिरफ्तारी

एवं सूचना प्रपत्र भी पत्रावली पर मूल रुप से उपलब्ध है जो उस समय थाने पर नियुक्त तथा उक्त घटना की कार्यवाही में शामिल एस०आई० रघुवीर सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है। वह मेरे साथ तैनात रहे हैं मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–24** डाला गया।

23. बचाव साक्षी **डी०डब्ल्यू० 1** रिंकू जैन पुत्र सुखमाल जैन उम्र लगभग 38 वर्ष पेशा दुकानदारी निवासी ग्राम जड़ौदा पंण्डा थाना बड़गाँव जिला सहारनपुर ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं जन्म से उपरोक्त पते पर रहता हूँ और अजय हाजिर अदालत मेरे गाँव का है। मैं जाति से जैन हूँ और ग्राम में स्थित जैन मंदिर में प्रति दिन जाता हूँ। हमारे गांव में एक ही जैन मंदिर है जो पूर्व मूहाना है और उस मदिंर के बराबर में मिली हुयी अजय हाजिर अदालत की दुकान है, वह भी पूर्व मुहानी है। अजय की दुकान के सामने रास्ता उत्तर दक्षिण चलता है। मंदिर से मिली हुयी दुकान अजय कई वर्षों से पेन्ट (रंग) दुकान करता आ रहा है। अजय की गांव कोई दवाई की दुकान नहीं है और ना ही अजय ने कभी कोई दवाई की दुकान की है। अजय सिर्फ पेन्ट की दुकान करता है। अजय की दुकान के आसपास पूरी आबादी है।

24. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रमुख अवधार्य बिंदु निम्नवत हैं:–

क्या अभियुक्त ने औषधि या प्रसाधन सामग्री को विक्रयार्थ या विक्रय या स्टाक या विक्रयार्थ प्रदर्शित या प्रस्थापित बिना अनुज्ञप्ति के करते हुए प्रतिरूपण द्वारा छल करके बेईमानी से उत्प्रेरित करते हुए बिना अनुज्ञप्ति के औषधियों का विक्रय किया है ?

25. उक्त अवधार्य बिंदु का साक्ष्य के अनुक्रम में निष्कर्ष एवं विश्लेषण से पूर्व **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,** 1940 के निम्नांकित उपबंधों का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

26. **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,** 1940 की धारा 22, 23 **तथा** 25 निम्नवत है:–

22. निरीक्षकों की शक्तियां– (1) धारा 23 के, और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के, उपबंधों के अध्यधीन कोई निरीक्षक उस क्षेत्र की उन स्थानीय सीमाओं के अंदर, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है–

(क) (i) किसी ऐसे परिसर का, जिसमें कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है तथा उस औषधि प्रसाधन सामग्री के मानकीकरण और परख के लिए काम में लाए जाने वाले साधनों का निरीक्षण कर सकेगा;

(ii) किसी ऐसे सपरिसर का निरीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का विक्रय या स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या प्रस्थापन या वितरण किया जा रहा है;

(ख) ऐसी किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के, –

(i) जो विनिर्मित की जा रही है, या विक्रय की जा रही है या स्टाक की जा रही है या विक्रयार्थ प्रदर्शित या प्रस्थापित की जा रही है या वितरित की जा रही है;

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री किसी क्रेता या किसी परेषिती को प्रवाहित करने, परिदत्त करने या परिदत्त करने की तैयारी करने के अनुक्रम में है, नमूने ले सकेगा;

(ग) सब युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझता है–

(i) ऐसे किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को अपने शरीर पर छिपाकर रखा है, जिसकी बावत इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है; या

(ii) ऐसे किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है; या

(iii) किसी ऐसे यान, जलयान, या अन्य सवारी को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसका किसी ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को वहन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है,

तथा उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह औषधि प्रसाधन सामग्री है जिसके बारे में अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, लिखित आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक जो बीस दिन से अधिक की न होगी, ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के किसी स्टाक का व्ययन न करे, अथवा जब तब कि अभिकथित अपराध ऐसा न हो कि वह त्रुटि औषधि या प्रसाधन सामग्री के कब्जाधारी द्वारा दूर की जा सकती है, ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टाक और ऐसे पदार्थ या वस्तु को अभिगृहीत कर सकेगा, जिसके जरिए वह अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है या जिसे ऐसे अपराध के किए जाने के लिए काम में लाया जाए;

(गग) किसी व्यक्ति के पास या किसी स्थान, यान, जलयान या अन्य सवारी में, जो खंड (ग) में निर्दिष्ट है, पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकता है तो उसे अभिगृहीत कर सकेगा;

(गगक) किसी व्यक्ति से किसी ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के, जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है,

विक्रयार्थ या वितरणार्थ, विनिर्माण, स्टाक रखने, विक्रयार्थ प्रदर्शन, विक्रयार्थ या वितरणार्थ प्रस्थापन से संबंधित कोई अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस अध्याय या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध इस अध्याय के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को यथाशक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

(2 क) खंड (गग) के अधीन अभिगृहीत या खंड (गगक) के अधीन पेश किया गया प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उस व्यक्ति को जिससे वे अभिगृहीत किए गए थे या जिसने उन्हें पेश किया था, उनकी प्रतिलिपियां या उनमें से उद्धरणों के लिए जाने के पश्चात्, जो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए प्रमाणित कर दिए गए हों, यथास्थिति, ऐसे अभिग्रहण या पेश किए जाने की तारीख के बीस दिन की अवधि के भीतर लौटा दिए जाएंगे।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के द्वारा या अधीन किसी निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसको या किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से तब जब उपधारा (1) के खंड (गगक) के अधीन उससे ऐसा करने की अपेक्षा की गई हो, इन्कार करेगा, तो कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

<u>23. निरीक्षकों की प्रक्रिया</u>– (1) जहां कोई निरीक्षक इस अध्याय के अधीन किसी औषधि [या प्रसाधन सामग्री] का नमूना लेता है वहां वह उसकी उचित कीमत निविदत्त करेगा, और उसके लिए लिखित अभिस्वीकृति अपेक्षित कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन निविदत्त कीमत लेने से इन्कार किया जाता है, या जहां कोई निरीक्षक धारा 22 के खंड (ग) के अधीन किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टाक को अभिगृहीत करता है वहां वह उसके लिए विहित प्ररूप में पावती का निविदान करेगा।

(3) जहां कोई निरीक्षक किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का नमूना, परख या विश्लेषण के लिए लेता है वहां वह ऐसे प्रयोजन की विहित प्ररूप में लिखकर उस व्यक्ति को प्रज्ञापना देगा, जिससे उसको लेता है, और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि वह जानबूझकर स्वयं अनुपस्थित नहीं हो जाता, उस नमूने को चार प्रभागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से मुहरबन्द और उपयुक्त रूप से चिन्हित करेगा और ऐसे मुहरबंद और चिन्हित सब या किन्हीं प्रभागों पर ऐसे व्यक्ति को अपनी मुहर और चिन्ह लगाने देगा :

परन्तु जहां नमूना उस परिसर से लिया जाता है, जहां औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है, वहां नमूने को केवल तीन प्रभागों में विभक्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि जहां औषधि या प्रसाधन सामग्री छोटे आकार के पात्रों में बनाई गई है, वहां पूर्वोक्त रूप से नमुने को विभक्त करने की बजाय निरीक्षक उक्त पात्रों में से यथास्थिति, तीन या चार को समुचित रूपेण चिन्हित करके और जहां आवश्यक हो वहां मुहरबंद करके ले सकेगा और यदि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री ऐसी है कि उच्छन्न रहने से उसके क्षय होने या अन्यथा खराब हो जाने की संभाव्यता है, तो लेगा।

(4) निरीक्षक ऐसे विभक्त किए गए नमूने का, यथास्थिति, एक प्रभाग या एक पात्र उस व्यक्ति को लौटाएगा जिससे वह उसको लेता है, और अवशेष को प्रतिधृत रखेगा, और उसका व्ययन निम्नलिखित रूप में करेगा, अर्थात्–

(i) एक प्रभाग या पात्र को तुरन्त सरकारी विश्लेषक को परख या विश्लेषण के लिए भेजेगा;

(ii) दूसरे को वह उस न्यायालय में पेश करेगा, जिसके समक्ष उस औषधि या प्रसाधन सामग्री के बारे में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित की गई हैं; और

(iii) तीसरे को, जहां कि वह लिया गया हो, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, भेजेगा. जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 18 क के अधीन प्रकट की गई हैं.

(5) जहां कोई निरीक्षक धारा 22 के खंड (ग) के अधीन कोई कार्रवाई करता है; वहां

(क) वह यह अभिनिश्चित करने के लिए पूरी शीघ्रता से कार्रवाई करेगा कि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा 18 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करती है या नहीं और यदि यह अभिनिश्चित हो गया है कि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री ऐसा उल्लंघन नहीं करती है तो उक्त खंड के अधीन पारित आदेश को तुरन्त प्रतिसंहृत करेगा, या, यथास्थिति ऐसे अभिग्रहीत स्टाक की वापसी के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी आवश्यक हो;

(ख) यदि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टाक का अभिग्रहण करता है तो वह यथाशक्य शीघ्रता से न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा और उसकी अभिरक्षा के संबंध में उसके आदेश लेगा;

(ग) किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि यदि अभिकथित उल्लंघन ऐसा है कि त्रुटि का उपचार औषधि या प्रसाधन सामग्री के कब्जाधारी द्वारा किया जा सकता है तो वह अपना यह समाधान हो जाने पर कि त्रुटि का वैसा उपचार किया जा चुका है, उक्त खंड के अधीन अपने आदेश का तुरन्त प्रतिसंहरण करेगा।

(6) जहां कोई निरीक्षक धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (गग) के अधीन किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिकी पदार्थ का

अभिग्रहण करता है वहां वह यथाशक्य शीघ्रता से न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा और उसकी अभिरक्षा के संबंध में उसके आदेश लेगा।

<u>25. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट</u>– (1) सरकारी विश्लेषक, जिसे परख या विश्लेषण के लिए किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का नमूना धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन भेजा गया है, विहित प्ररूप में तीन प्रतियों में एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट उस नमूने को भेजने वाले निरीक्षक को परिदत्त करेगा।

(2) उसकी प्राप्ति पर निरीक्षक उस रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे नमूना लिया गया था, और दूसरी प्रति ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टयां धारा 18 क के अधीन प्रकट की गई हैं, परिदत्त करेगा, और तीसरी प्रति को नमूने के बारे में किसी अभियोजन में उपयोग किए जाने के लिए प्रतिधृत रखेगा।

(3) कोई दस्तावेज, जो इस अध्याय के अधीन सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्थित है उसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगी, और ऐसा साक्ष्य निश्चायक होगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, जिससे नमूना लिया गया था, या उस व्यक्ति ने जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 18 क के अधीन प्रकट की गई हैं, रिपोर्ट की एक प्रति की प्राप्ति के अट्ठाइस दिन के अन्दर निरीक्षक या न्यायालय को जिसके समक्ष नमूने के बारे में कोई कार्यवाहियां लम्बित हैं लिखकर अधिसूचित न कर दिया हो कि वह रिपोर्ट के प्रतिवाद में साक्ष्य पेश करने का आशय रखता है।

(4) उस दशा के सिवाए जिसमें नमूने की परख या उसका विश्लेषण केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला में पहले ही हो गया हो, जहां किसी व्यक्ति ने सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के प्रतिवाद में साक्ष्य पेश करने का अपना आशय उपधारा

(3) के अधीन अधिसूचित कर दिया है वहां न्यायालय स्वप्रेरणा से या परिवादी अथवा अभियुक्त में से किसी की प्रार्थना पर स्वविवेकानुसार उस औषधि या प्रसाधन सामग्री के नमूने को जो धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है उक्त प्रयोगशाला को परख या विश्लेषण के लिए भिजवा सकेगा जो परख या विश्लेषण करेगी और उसके परिणाम की केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके प्राधिकाराधीन लिखित रिपोर्ट देगी और ऐसी रिपोर्ट उसमें कथित तथ्यों का निश्चायक साक्ष्य होगी।

(5) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई परख या विश्लेषण का खर्चा परिवादी अथवा अभियुक्त द्वारा संदत्त किया जाएगा जैसा भी न्यायालय निर्दिष्ट करे।

धारा– 94 दंड प्रक्रिया संहिता तलाशी वारंट जारी के अधीन तलाशी लेने का प्रावधान करती है। यदि उक्त वारंट के अधीन तलाशी लिए जाने वाला स्थान बंद है तो तलाशी वारंट के अधीन बंद स्थान की तलाशी लिए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता करती है। जो निम्नवत है।

<u>100. बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे</u> (1) जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बन्द है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और

वारण्ट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी।

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामन्द नहीं है तो किसी अन्य मुहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन–जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किन्तु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से, तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो।

(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इंकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

27. **<u>अवधार्य बिंदु का साक्ष्य के अनुक्रम में विश्लेषण एवं निष्कर्ष:–</u>** अवधार्य बिंदु इस आशय का है कि– <u>क्या अभियुक्त ने औषधि या प्रसाधन सामग्री को विक्रयार्थ या विक्रय या स्टाक या विक्रयार्थ प्रदर्शित या प्रस्थापित बिना अनुज्ञप्ति</u>

के करते हुए प्रतिरूपण द्वारा छल करके बेईमानी से उत्प्रेरित करते हुए बिना अनुज्ञप्ति के औषधियो का विक्रय किया है ?

28. परिवाद की पत्रावली में दाखिल प्रपत्र संख्या 6 ख, 7 ख, 8 ख के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी अनामिका अंकुर जैन को औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रपत्र का संख्या 8 ख से विदित होता है कि परिवादिनी अनामिका अंकुर जैन को जनपद सहारनपुर में औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। परिवाद की पत्रावली में दाखिल प्रपत्र संख्या 10 ख एफ०एस०डी०ए०/छापामार/2014–15/28 दिनांक: 07/01/2015 द्वारा जनपद सहारनपुर में राजेश कुमार औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में दिनांक 08.01.2015 को छापामार कार्रवाई हेतु जारी किया गया है।

29. धारा– 25 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम से स्पष्ट है कि यदि किसी औषधि का नमूना लिया जाता है और वह नमूना मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो ऐसी सूचना उस व्यक्ति को दी जायेगी, जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है। ताकि वह धारा–25 (3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर सके। परिवाद की पत्रावली में दाखिल प्रपत्र 19 ख पत्रांक संख्या– आई.डी./2014–15/ 19 to 21 दिनांकित 19.01.2015 प्रदर्श क–17 अभियुक्त अजय कुमार को भेजे जाने का कोई साक्ष्य अर्थात डाक की पंजीकृत रसीद अथवा अभियुक्त पर नोटिस तमिल का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली पर ऐसा भी कोई प्रपत्र नहीं है, जिससे यह दर्शित हो सके कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा अभियुक्त के पास अपने टेस्ट की रिपोर्ट प्रेषित की गई हो।

30. परिवादी/अभियोजन द्वारा धारा 25(3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष कोई वाद प्रस्तुत कर अभियुक्त को नोटिस भिजवाया गया और ना ही परिवादिनी पी0 डब्ल्यू0–1 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दिया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त प्रावधानों का अनुपालन परिवादी/अभियोजन द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को विधि द्वारा उसे दिए गए विधिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जिससे अभियुक्त को विधि में दिए गए अधिकार के अनुसार बचाव करने का अवसर नहीं मिला है। जिससे अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

31. फर्द तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लेखित है कि अतः अनुरोध है कि माल मुलजिम के साथ हम लोग थाने आए हैं कि अभियुक्त अजय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करे। उपरोक्त कार्रवाई संपन्न करने के पश्चात ग्राम जडौदा पाँडा से समय लगभग शाम 06.00 बजे रवाना हुए। फर्द बरामदगी मेरे द्वारा बोल–बोलकर हमराही श्री राजेश कुमार पद औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर से मौके पर ही लिखवायी गयी तथा फर्द को पढ़कर सुनाकर छायादल के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। नोट फर्द की एक नकल अभियुक्त अजय को दी गयी तथा हस्ताक्षर बनवाये गये।

32. फर्द तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित शब्दावली कि "माल मुलजिम के साथ हम लोग थाने आए हैं कि अभियुक्त अजय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करे।" से परिलक्षित होता है कि फर्द तहरीर

प्रदर्श क–1 थाने में ही लिखी गई है। फर्द तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लेखित उक्त शब्दावली को पी0 डब्ल्यू0–2 ने भी प्रतिपरीक्षा में पेज 10 पर उल्लिखित होना स्वीकार किया है। यदि फर्द प्रदर्श क–1 घटनास्थल पर लिखी जाती तो उसमें उक्त शब्दावली होना सामान्यत: स्वाभाविक नहीं है। जिससे घटनास्थल पर फर्द प्रदर्श क–1 का लिखा जाना संदिग्ध हो जाता है।

33. फर्द प्रदर्श क–1 में अभियुक्त को मात्र फर्द की प्रति दिए जाने का उल्लेख है। पी0 डब्ल्यू0–1 ने मुख्य परीक्षा में फर्द प्रदर्श क–1 की प्रति, फार्म 17 ए प्रदर्श क–3 को मूल रूप से अभियुक्त को दिए जाने का कथन किया है। पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 48 पर कथन किया है कि मुलजिम को मौके पर ही पकड़ लिया था। मौके पर ही गिरफ्तारी प्रपत्र पुलिस द्वारा तैयार किया गया था। गिरफ्तारी प्रपत्र जो कागज संख्या 6 है, उस पर सब कुछ मौके पर ही लिख दिया था। इसमें धारा व अपराध संख्या व थाना अंकित है। उक्त सभी चीज घटनास्थल पर पुलिस द्वारा अंकित की गई थी। पी0 डब्ल्यू0–2 राजेश कुमार ने प्रतिपरीक्षा में पेज 11 पर कथन किया है कि गिरफ्तारी से लेकर थाने पर दाखिले तक मुलजिम हमारे साथ ही रहा, मुलजिम ने मेरे सामने फर्द ना तो फेंकी और ना ही फाड़ी। पी0 डब्ल्यू0–4 एस.आई. बालेंद्र सिंह ने प्रतिपरीक्षा में पेज 2 कथन किया है कि यह बात सही है कि प्रदर्श क–21 असल जी.डी. आज मेरे सामने नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श क–21 के अनुसार मुलजिम से फर्द की नकल या किसी अन्य प्रपत्र की नकल नहीं बरामद हुई।

34. पत्रावली में दाखिल जी.डी. प्रदर्श क–21 में उल्लिखित है कि अभियुक्त अजय उपरोक्त को कब्जा पुलिस में लिया गया रूबरू संतरी पहरा के जामा तलाशी ली गई अलावा पहने कपड़ों के कोई शह बरामद नहीं हुई। अभियोजन कथांनक के अनुसार अभियुक्त घटनास्थल से लेकर थाने ले जाने तक छापामार टीम के साथ ही रहा है और उसने ना तो फर्द व अन्य प्रपत्रों को फाड़ा है ना ही फेका है। ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्त को फर्द प्रदर्श क–1 वह अन्य प्रपत्रों की प्रति/मूल प्रपत्र दिए गए होते तो अवश्य ही थाने में तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से बरामद होते। उक्त परिस्थितियों में यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त को फर्द तथा अन्य प्रपत्रों को घटनास्थल पर प्रदान नहीं किया गया है। जिससे छापामार टीम द्वारा धारा 23 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

35. पी0 डब्ल्यू0–1 अनामिका अंकुर जैन ने प्रतिपरीक्षा में पेज 47 पर कथन किया है कि मौके पर कुल कार्यवाही में पौने तीन–तीन घंटे लगभग लगे थे। घटनास्थल से थाने की दूरी 2 किलोमीटर है। घटनास्थल से थाने पहुंचने पर में 10–15 मिनट का समय लगा था। पी0 डब्ल्यू0–2 राजेश कुमार ने प्रतिपरीक्षा में पेज 6 पर कथन किया है कि थाना बडगांव से हम घटनास्थल के लिए 3:30 बजे चले थे। घटनास्थल पर हम 3:45 के करीब पहुंच गए थे। मौके पर कुल कार्यवाही में लगभग सवा दो घंटे का समय लगा था। पत्रावली में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–20 में घटनास्थल दिशा और पुलिस स्टेशन की दूरी में उल्लेखित है, बाहेड ग्राम जड़ौदा पांडा दिशा दक्षिण दूरी 9 किलोमीटर हल्का तृतीया।

36. इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–1, थाना से घटनास्थल की दूरी के संबंध में अभियोजन प्रपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–20 के अनुसार बयान नहीं दे रही है। घटनास्थल पर की गई कुल कार्यवाही में लगे समय के संबंध में पी0 डब्ल्यू0–1 पौने तीन–तीन घंटे लगने का कथन कर रही है, जबकि पी0 डब्ल्यू0–2 घटनास्थल पर की गई कुल कार्यवाही में लगे समय के संबंध में लगभग सवा दो घंटे लगने का कथन कर रहा है। उक्त दोनों साक्षी पी0 डब्ल्यू0–1 तथा पी0 डब्ल्यू0–2 घटनास्थल पर साथ–साथ मौजूद रहे हैं। फिर भी घटनास्थल पर की गई कार्यवाही में लगे समय में अंतर लगभग आधे घंटे (30 मिनट) का दोनों के साक्ष्य में आने से यही परिलक्षित होता है कि घटनास्थल पर कार्यवाही नहीं की गई है।

37. पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 48 पर कथन किया है कि नमूना मोहर पर मुलजिम के हस्ताक्षर कराये थे तथा मेरे और पुलिस कर्मचारीगण और अन्य मेरे साथियों के हस्ताक्षर हैं। पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 52 पर कथन किया है कि तीनों पुलिंदों का एक नमूना मोहर बना था। उस नमूना मोहर पर भी हम सब कर्मचारीगण और मुलजिम के हस्ताक्षर हुए थे। गवाह ने पत्रावली में दाखिल नमूना मोहर को देखकर प्रदर्श क–11 को देखकर कहा कि यह नमूना मोहर है, जो मौके पर बना। इस नमूना मोहर पर, जो प्रदर्श क–11 है, इस पर मेरे अलावा किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 7 पर कथन किया है कि नमूना मोहर एक बना था। नमूना मोहर दो कॉपी में बना था। नमूना मोहर पर केवल अभियुक्त एवं औषधि निरीक्षक अनामिका अंकुर जैन के हस्ताक्षर हुए थे। अन्य किसी कर्मचारीगण के दस्तखत नहीं हुए थे। इस प्रकार नमूना मोहर पर हुए हस्ताक्षरों के संबंध में पी0 डब्ल्यू0–1 तथा पी0 डब्ल्यू0–2 भिन्न–भिन्न कथन कर रहे हैं।

38. परिवाद की पत्रावली में दाखिल नमूना मोहर प्रदर्श क–11 पर मात्र अनामिका अंकुर जैन के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त के तथा छापामारा पार्टी के अन्य सदस्यों और पुलिस के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे पी0 डब्ल्यू0–1 का उक्त बयान अभियोजन प्रपत्र प्रदर्श क–11 का समर्थन नहीं कर रहा है।

39. पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 48 पर कथन किया है कि मुलजिम को मौके पर ही पकड़ लिया था। मौके पर ही गिरफ्तारी प्रपत्र पुलिस द्वारा तैयार किया गया था। गिरफ्तारी प्रपत्र, जो कागज संख्या 6 है, उस पर सब कुछ मौके पर ही लिख दिया था। इसमें धारा व अपराध संख्या बताना अंकित है। उक्त सभी चीज घटनास्थल पर पुलिस द्वारा अंकित की गई थी। पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 54 पर कथन किया है कि मुलजिम को तीनों प्रपत्र की नकलें दी थी, जो फार्म 17 ए, फार्म 16, फर्द। मुलजिम को मौके पर ही पकड़ लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसने ताला लगाकर चाबी व सामान किसी को दे दिए थे। मुलजिम ने ताला लगाकर अपनी चाबी व कागजात किसी को दे दिए थे। यह बात फर्द बरामदगी में लिखी थी, अन्य में लिखी थी या नहीं, मुझे ध्यान नहीं।

40. पी0 डब्ल्यू0–3 एस.आई. बालेंद्र सिंह ने प्रतिपरीक्षा में पेज 2 पर कथन किया है कि प्रदर्श क–24 मेरे सामने तैयार नहीं हुयी थी। यह सही है कि प्रदर्श क–24 में गवाहान के हस्ताक्षर का कॉलम खाली पड़ा है। पुलिस अधिकारी व

कर्मचारी के हस्ताक्षर वाला कॉलम भी खाली पड़ा है और इसी प्रकार गिरफ्तारी का स्थान तथा दिनांक समय वाला कॉलम खाली है। यह बात सही है कि गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार होता है और इस पर अपराध संख्या अंकित है।

41. पत्रावली में दाखिल गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–24 में अपराध संख्या 12/15 उल्लेखित है। अपराध संख्या का उल्लेख थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने पर किया जाता है। पी0 डब्ल्यू0–1 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 ने अपने बयानों में गिरफ्तारी प्रपत्र घटनास्थल पर तैयार किए जाने का कथन किया है। गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–24 में कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जाना भी पी0 डब्ल्यू0–1 ने स्वीकार किया है। गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–24 में अपराध संख्या का उल्लेख किए जाने से यही परिलक्षित होता है कि गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–24 घटनास्थल पर तैयार न करके थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–20 पंजीकृत किये जाने के उपरांत तैयार किया गया है।

42. पत्रावली में दाखिल फर्द प्रदर्श क–1 में यहां उल्लेखित नहीं है कि मुलाजिम ने ताला लगाकर अपनी चाबी व कागजात किसी को दे दिए थे। जिससे पी0 डब्ल्यू0–1 अपने द्वारा तैयार की गई फर्द प्रदर्श क–1 के कथनों के अनुसार बयान नहीं दे रही है।

43. पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त से कितनी औषधि, कितनी मात्रा तथा किस–किस बैच नंबर की बरामद हुई है, नहीं बता सकने का कथन किया है। जबकि मुख्य परीक्षा में पी0 डब्ल्यू0–1 द्वारा अभियुक्त की कथित दुकान से बरामद समस्त औषधि की मात्रा, बैच नंबर आदि को बताया है। इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–1 मुख्य परीक्षा के बयानों का समर्थन बरामद औषधियों की मात्रा औषधियों की संख्या तथा बैच नंबर के बाबत प्रतिपरीक्षा में नहीं कर रही है।

44. पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 49 पर कथन किया है कि मौके पर 3 बोरे सील हुए थे और उस बोरे पर, ऊपर काले स्केच से अपराध संख्या 12/15 मौके पर पुलिस द्वारा लिख दिया गया था। इसी तरह कुल तीनों बोरो पर अपराध संख्या 12/15 मौके पर लिख दिया था। पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 58 पर कथन किया है कि मौके पर 6 नमूने लिए थे। उन नमूनों पर मेरे और मुलजिम के हस्ताक्षर हुए थे, वह नमूना पुलिंदा भी आज मेरे सामने नहीं है। आज मैंने यह बयान दिया कि प्लास्टिक के जो तीन पुलिंदे बने थे, उन पर हम सब कर्मचारीगण व मुलाजिम के हस्ताक्षर हुए थे। 13.12.19 में भी मेरा न्यायालय में बयान हुआ था। 13.12.19 को मैंने न्यायालय में यह बयान दिया था कि प्लास्टिक के बोरे पर मेरे, राजेश यादव, मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। मेरा 13.12.19 वाला बयान सही है। आज वाला सही नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी अपने ही बयानों में उक्त बरामद माल के बने तीन प्लास्टिक के बोर पुलिंदो के संबंध में भिन्न–भिन्न कथन कर रही है।

45. अपराध संख्या का उल्लेख थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में घटनास्थल से बरामद औषधियों के बोरों पर अपराध संख्या, घटनास्थल पर डालना संभव नहीं है। बरामद औषधियों के तीनों माल पुलिंदों पर अपराध संख्या लिखे जाने से परिलक्षित होता है कि

उक्त समस्त औषधियां, जो तीन बोरे माल पुलिंदों में रखा गया, वह घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ है।

46. पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 54 पर कथन किया है कि मौके पर जब तक हम रहे, वहां पर पब्लिक के काफी आदमी गुजरे। पब्लिक के आदमियों को गवाही के लिए कहा था। उनके नाम–पते नोट नहीं किया, क्योंकि कोई राजी नहीं हुआ। यह फर्द बरामदगी में लिखा होना चाहिए कि मौके पर जनता के लोगों को गवाही के लिए कहा था और उन्होंने मना कर दिया। स्वयं कहा इस समय मुझे याद नहीं है। यदि यह बात फर्द में नहीं लिखी तो मैं वजह नहीं बता सकती।

47. पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 9 पर कथन किया है कि यह सही है कि घटनास्थल आबाद इलाका है। चारों तरफ आबादी है। जब तक हम मौके पर रहे आसपास के काफी लोग वहां आ गए थे। पब्लिक को गवाही के लिए कहा था, लेकिन भलाई–बुराई के कारण किसी ने गवाही नहीं दी और ना ही हमने पब्लिक के किसी आदमी का नाम पूछा।

48. पी0 डब्ल्यू0–1 तथा पी0 डब्ल्यू0–2 की उपस्थिति में घटनास्थल पर समस्त कार्रवाई की गई है। उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घटनास्थल पर की गई कार्यवाही के दौरान जनता के व्यक्ति उपस्थित रहे, फिर भी जनता के किसी व्यक्ति को संपूर्ण कार्यवाही का साक्षी ना जाना बनाया जाना, घटनास्थल पर की गई कार्यवाही के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

49. इस सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा पारित निर्णयज विधि **इदु अंसारी बनाम उ०प्र०राज्य** 2014 (17) R.C.R. (Criminal) 647 में यह अवधारित किया गया है कि जनता का कोई गवाह प्रस्तुत न करना मामले को कमजोर बना देता है।

50. **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा **फिरोज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 सी०बी०सी० पेज** 65 में यह अवधारित किया गया है कि यदि जनता के गवाह मामले में शामिल किये जा सकते थे, परंतु नहीं किये गये तो यह प्रतिकूल अवधारणा की जाएगी कि जिस प्रकार की घटना अभियोजन द्वारा बताई गई है, ऐसी घटना घटी ही नहीं। प्रश्नगत मामले में ना तो जनता का कोई साक्षी बनाया गया, जबकि मौके पर अनेको जनता के लोग उपलब्ध हो सकते थे। जनता के व्यक्ति को साक्षी ना बनाना अभियोजन के मामले को पूर्ण रूप से संदेहजनक बना दे रहा है।

51. पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 55 पर कथन किया है कि घटनास्थल आबादी वाला इलाका है। वहां लोगों के मकानात हैं व दुकान हैं। दुकान के सामने जो सड़क चलती है, वह पूरब पश्चिम चलती है। मैं नहीं बता सकती कि सड़क कितनी चौड़ी है। स्वयं कहा कि 10 या 15 फुट के आसपास होगी। उस सड़क पर कार आ सकती है। मुझे इस समय याद नहीं कि वह सड़क सी०सी० रोड थी, टाइल्स की थी, पर वह तारकोल की नहीं थी। मुलजिम की दुकान दक्षिण तरफ खुलती थी। मैं नहीं बता सकती कि दुकान की लंबाई–चौड़ाई कितनी थी, क्योंकि इस समय मुझे याद नहीं है। उसका लिंटर कितनी ऊंचाई पर था, मुझे याद नहीं। ऐसा नहीं कि मुलजिम की दुकान पूरब मुहानी रही हो और मैं दक्षिण मुहानी गलत कह रही हो। यह बात सही है कि जैन मंदिर है। जैन मंदिर भी

दक्षिण की तरफ खुलता है।... मैं सड़क से मुलजिम की दुकान की ऊंचाई नहीं बता सकती। स्वयं कहा क्योंकि इस समय मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं कि मुलजिम की दुकान जनेश्वर के मकान में थी या नहीं, पर किसी के मकान में थी। ऐसा नहीं कि अभियुक्त की रंग की दुकान हो। जैन मंदिर मुलजिम की दुकान से बिल्कुल मिला हुआ है। स्वयं कहा कि मिला हुआ है या नहीं, मुझे याद नहीं। यह जैन मंदिर मुलजिम की दुकान से कुछ फैसले पर भी हो सकता है, यह मुझे याद नहीं।... मैंने दरोगा जी को घटनास्थल नहीं दिखाया था, ना ही मैं घटनास्थल पर विवेचक के साथ गई।... इस घटनास्थल के आसपास किस–किस चीज की दुकान मुझे इस समय याद नहीं। एक अशोक कुमार का मकान व एक रंग की दुकान थी।

52. पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 7 पर कथन किया है कि मुलजिम की दुकान के सामने से जो सड़क जाती है, वह कहां जाती है, पता नहीं, लेकिन वह सड़क पूरब–पश्चिम दिशा में चलती है।... अनुज की दुकान दक्षिण मुहाने थी। मेरे याद नहीं है कि उक्त दुकान में शटर लगा था या लकड़ी का दरवाजा लगा था। केवल एक दुकान थी। मुझे दुकान की लंबाई–चौड़ाई का पता नहीं है।... यह बात सही है कि अनुज की दुकान से मिला हुआ जैन मंदिर है। जैन मंदिर भी दक्षिण मुहाना है। अनुज की दुकान के सामने वाली सड़क 7–8 फीट चौड़ी होगी।

53. पी0 डब्ल्यू0–1 ने घटनास्थल वाली दुकान के सामने सड़क 10 से 15 फिट होना अभिकथित किया है तथा पी0 डब्ल्यू0–2 ने घटनास्थल वाली दुकान के सामने सड़क 7–8 फिट होना अभिकथित किया है। पी0 डब्ल्यू0 1 ने घटनास्थल वाली दुकान जैन मंदिर से लगी होने के संबंध में ध्यान नहीं होने का कथन किया है, जबकि पी0 डब्ल्यू0–2 ने जैन मंदिर से घटना वाली दुकान लगी होने का कथन किया है। उक्त दोनों साक्षी घटनास्थल पर कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे, फिर भी घटनास्थल के संबंध में उक्त दोनों साक्षी ने भिन्न–भिन्न बयान दिए हैं। जिससे घटनास्थल पर उक्त दोनों साक्षी की उपस्थिति तथा की गई समस्त कार्रवाई संदिग्ध हो जाती है।

54. पी0 डब्ल्यू0–3 राजेश कुमार विवेचक ने मुख्य परीक्षा में पेज 3 पर कथन किया है कि सी०डी० का पर्चा 3 किता किया गया। जिसमें मुकदमे की वादिया अनामिका अंकुर जैन का बयान अंकित किया गया तथा उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जबकि पी0 डब्ल्यू0–1 अनामिका अंकुर जैन ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मैंने दरोगा जी को घटनास्थल नहीं दिखाया था, ना ही मैं घटनास्थल पर विवेचक के साथ गई। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण समान तथ्य के बाबत भिन्न–भिन्न कथन कर रहे हैं, जिससे वादिनी मुकदमा पी0 डब्ल्यू0–1 अनामिका अंकुर जैन द्वारा विवेचक को घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाना संदिग्ध हो जाता है।

55. पी0 डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 8 पर कथन किया है कि मैं नहीं कह सकता कि घटनास्थल के पास कोई जैन मंदिर है या नहीं। स्वयं कहा नक्शा–नजरी देखकर बता सकता हूं। घटनास्थल के पास किस–किस चीज की दुकानें हैं, मैं नहीं बता सकता।... घटना के सामने सड़क कितनी चौड़ी है, मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल वाली दुकान सड़क से कितनी ऊंचाई पर है, मैं नहीं

बता सकता। मैंने दुकान की ऊंचाई नहीं नापी थी। दुकान सड़क के किनारे है। दुकान के सामने वाली सड़क उत्तर–दक्षिण चलती है।... यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि अजय के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई, वह सुधीर त्यागी की शिकायत पर हुई है। दौरान विवेचना मैंने सुधीर त्यागी का भी बयान नहीं लिया, क्योंकि सुधीर त्यागी इस मुकदमे में गवाह नहीं था।... दौरान तफ्तीश मेरी जानकारी में यह नहीं आया था कि कितने माल–पुलिंदे परीक्षण हेतु भेजे गए थे और कब भेजे गए थे।

56. पी0 डब्ल्यू0–3 विवेचक को अपने द्वारा की गई विवेचना के घटनास्थल की उचित जानकारी नहीं है। पी0 डब्ल्यू0–3 के उक्त बयान विवेचना में की गई लापरवाही को दर्शित करते हैं।

57. डी0 डब्ल्यू0–1 की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन को लाभ हो सके।

58. बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त ने कथन किया है कि कुल कार्यवाही फर्जी की गई, झूठा बयान दिया गया, कुल तफ्तीश विधि विरुद्ध फर्जी है। गलत आरोपपत्र दिया है। मुकदमा झूठा व रंजिशन चला।

59. अभियुक्त ने बयान तहरीरी 25 ख प्रस्तुत की है, जिसमें उसने कथन किया है कि सुधीर त्यागी ने मुकदमा अपराध संख्या– 230/2010 में फैसले का नाजायज दबाव डालने के लिए गलत शिकायत की है। साक्षीगण ने घटनास्थल की वस्तुःस्थिति के बारे में बिल्कुल गलत बयानी की है।

60. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षीगण के बयानों से घटनास्थल की वस्तुःस्थिति स्पष्ट नहीं है। अभियोजन के साक्षीगण ने सामान तथ्य के बाबत भिन्न–भिन्न कथन किए हैं। घटनास्थल पर जनता के व्यक्तियों के उपस्थित रहने के बावजूद भी घटनास्थल पर की गई कार्यवाही का कोई जनता का व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनाए जाने का प्रयास भी नहीं किया गया है। समस्त औषधियां, जो तीन बोरे माल पुलिंदों में रखा गया, वह घटनास्थल से बरामद किया जाना संदिग्ध है। अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार किया जाना संदिग्ध है। अभियोजन द्वारा विधिक उपबंधों का अनुपालन किया जाना संदिग्ध है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 घटनास्थल पर तैयार किया जाना तथा फर्द बरामदगी की प्रति व अन्य प्रपत्र अभियुक्त को दिया जाना संदिग्ध है। इस प्रकार उपर्युक्त समग्र विवेचना के आधार पर अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

61. अभियुक्त अजय कुमार, सत्र परीक्षण संख्या–59 सन् 2017, मुकदमा अपराध संख्या–12 सन् 2015 आरोप अंतर्गत धारा–18 (सी)/ 27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा अंतर्गत धारा– 419 व 420 भारतीय दंड संहिता थाना बड़गांव, जिला सहारनपुर एवं समेकित सत्र परीक्षण संख्या– 01 सन् 2015 अंतर्गत धारा 18/27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम थाना बड़गांव जिला सहारनपुर में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अजय कुमार को सत्र परीक्षण संख्या– 59 सन् 2017 मुकदमा अपराध संख्या– 12 सन् 2015 में आरोप अंतर्गत धारा 18 (सी)/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा अंतर्गत धारा 419 व 420 भारतीय दंड

संहिता थाना बड़गांव, जिला सहारनपुर एवं समेकित सत्र परीक्षण संख्या– 01 सन् 2015 अंतर्गत धारा 18/27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम थाना बड़गांव जिला सहारनपुर से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त उक्त प्रकरण में जमानत पर है। उसके बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं एवं उसके जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा–437A दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हेतु अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूति अपील की अवधि के लिए तथा अपील होने की दशा पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाबत प्रभावी रहेगा।

प्रकरण में बरामदशुदा संपत्ति, अपील समय अवधि के पश्चात अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्ट की जाए।

निर्णय की एक प्रति धारा– 365 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा–406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत **जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर** को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

निर्णय की एक प्रति समेकित सत्र परीक्षण संख्या–01/2015 उत्तर–प्रदेश राज्य द्वारा औषधि निरीक्षक बनाम अजय कुमार थाना बड़गांव जिला सहारनपुर में रखी जाए।

दिनांक 24.06.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 24.06.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.25 10:33:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court